भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 587

जिसका उत्तर 06 फरवरी, 2025 को दिया जाना है।

.....

नदी का मार्ग बदलने के लिए नेपाल से एनओसी

587. श्री दिलेश्वर कामैतः

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में कुल कितनी नदियां हैं तथा नगरपालिका क्षेत्रों का अनुपचारित मलजल किन नदियों में बहाया जाता है;

(ख) क्या नेपाल से निकलने वाली नदियों अर्थात् जिताधार तथा खांडो नदियों को मुख्यधारा से जोड़ने के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए 4 जनवरी, 2025 को बिहार के सुपौल जिले के अंतर्गत बीरपुर में नेपाल तथा बिहार सरकार के जल संसाधन विभाग, केन्द्रीय जल संसाधन विभाग तथा स्थानीय संसद सदस्य के प्रतिनिधियों के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कोशी, जिताधार तथा खांडो नदियां अपनी मुख्यधारा से अपना मार्ग बदलकर बहती है, जिसके परिणामस्वरुप सुपौल जिले के कुआनौती, कमालपुर तथा डगमारा गांव तथा अन्य ब्लॉक प्रभावित होते हैं, जिससे जान-माल को भारी क्षति पहुंचती है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इन नदियों को मुख्यधारा में लाने के लिए नेपाल से अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) की आवश्यकता है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा ऐसी एनओसी प्राप्त करने के लिए क्या ठोस कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने की संभावना है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री श्री राज भूषण चौधरी

(क): वर्ष 2022 में प्रकाशित केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) की रिपोर्ट के अनुसार, देश की कुल 603 नदियों की निगरानी की गई और यह पाया गया कि 279 नदियों में से कुल 311 नदी खंड प्रदूषित थे। इसका विवरण https://cpcb.nic.in/openpdffile.phpid=UmVwb3J0RmlsZXMvMTQ5OF8xNjcyOTg4MDQ1X211ZGlhcGhvdG8xMjk5NS5wZGY= पर उपलब्ध है।

(ख): दिनांक 4 जनवरी, 2025 के अनुसार इस विषय पर ऐसी कोई द्विपक्षीय वार्ता नहीं हुई है।

(ग) से (ङ): कोशी, जिताधर और खंडो नदियाँ अपनी मुख्यधारा से अपना मार्ग बदलकर बहती हैं, जिसके परिणामस्वरूप कुआनौली, कमलपुर और डगमारा गाँव और सुपौल जिले के अन्य ब्लॉक प्रभावित होते हैं और जान-माल की क्षति होती है। इस संबंध में, जल संसाधन विभाग (डब्ल्यूआरडी), बिहार सरकार ने परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) नामतः "भारत के हिस्से में खंडो नदी और नो मैन्स लैंड में जीता धार का चैनलाइजेशन (54.7992 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत के साथ)" गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग, पटना को सौंप दी है, जिसमें कार्य नो मैन्स लैंड में आते हैं, जिसके निर्माण के लिए नेपाल सरकार से राजनयिक चैनल के माध्यम से पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है। इस संबंध में, 20 मार्च 2025 से 24 मार्च 2025 के दौरान बाढ़ और बाढ़ प्रबंधन पर संयुक्त समिति (जेसीआईएफएम) के उप-समूह के भारत और नेपाल के सदस्यों द्वारा स्थल का दौरा प्रस्तावित है।

*****